आवती सं० 3462
फाईल नं० 36 सी
दिनांक 04/08/25

आदेश

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/19/2022/एफ0सी0 दिनांक 26.03.2025 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति के शर्त 1 (क) में उल्लेख किया गया है, कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.96 है0 वन पंचायत भूमि, डोरब, तहसील रानीखेत में 2156 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियॉ को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

उक्त के कम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 2365/36सी0 दिनांक 11.10.2024 एवं पत्र संख्या 812/36सी0 दिनांक 27.03.2025 से किये गये अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 614(मु0)/भवन निर्माण (जू0डि0)/2024–25 दिनांक 28 अप्रैल, 2025 से प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में खतौनी, खसरा, नक्शा अभिलेखों सहित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत के भवनों निर्माण हेतु हेतु 0.98 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम डौरब के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3)क पंचायती जंगल के खेत संख्या 3185 कुल रकवा 21.00 है0 मध्ये 1.96 है0 (दुगने क्षेत्रफल में) सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव/आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/19/2022 /एफ0सी0 दिनांक 26.03.2025 से प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति के आलोक में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा किये गये अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या के आधार पर राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/ XVIII (II)/2012-18(120) /2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत के भवनों निर्माण हेतु हेतु 0.98 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डौरब के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3)क पंचायती जंगल के खेत संख्या 3185 कुल रकवा 21.00 है0 मध्ये **1.96 है0** सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार रानीखेत, उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–6722 /ग्यारह–20 /2024–25 दिनांकः29 जुलाई, 2025

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जनपद न्यायाधीश महोदय अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
4– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
5– तहसीलदार रानीखेत।
6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

नकल गैर जमीदारी विनाश खतौनी

ग्राम - डौरख

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र - बमस्यूं . तहसील - रानीखेत (अल्मोड़ा)

श्रेणी - 9(3) क पंचायती जंगल

खाता संख्या	खातेदार पिता/पति का नाम	मौरूसिक अधिकार वर्ष	खसरा संख्या	रकबा	लगान	
01	02	03	04	05	06	07 से 13 तक
	वन पंचायत जंगल	—	3172 3183 3185 3126	0.700 0.088 21.000 0.768	—	कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आ० सं० 6722/ग्यारह - 20/2024-25 दिनांक 29 जुलाई 2025 के अनुपाल में राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासन देश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वृक्षारोपण हेतु ग्राम डौरख के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 01 श्रेणी 9(3)क पंचायती जंगल के खेत संख्या 1385 कुल रकबा 21.00 है० मध्ये 1.96 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित नामान्तरण की जाती है।
		योग	04	22.556	—	

महोदय, गैर जमी विनाश खतौनी नकल तैयार की

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बमस्यूं
तहसील रानीखेत
जिला अल्मोड़ा

Scanned with OKEN Scanner